



प्रेस विज्ञप्ति

01.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स वाटिका लिमिटेड (वाटिका ग्रुप) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अनिल भल्ला और प्रमोटर गौतम भल्ला को धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के प्रावधानों के तहत 28.09.2026 को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने मेसर्स वाटिका लिमिटेड, इसके प्रवर्तक-निदेशकों, अर्थात् अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और गौरव भल्ला तथा अन्य के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत एक ईसीआईआर दर्ज की थी। यह ईसीआईआर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 420, 406 और 120-बी के तहत दर्ज की गई कई प्राथमीकियों पर आधारित है, जिनमें धोखाधड़ीपूर्ण प्रलोभन, आवासीय प्लॉटों की गैर-वितरण और अन्य संबंधित अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।

ईडी की जांच में पता चला कि वर्ष 2010 से 2012 के बीच सात क्रेता संस्थाओं ने मेसर्स वाटिका लिमिटेड को उसकी परियोजनाओं वाटिका इंडिया नेक्स्ट (सेक्टर 84/85) और वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 (सेक्टर 88ए), गुरुग्राम में आवासीय प्लॉटों के लिए लगभग 260 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया, जो संपूर्ण बिक्री प्रतिफल था। इसके बाद, वर्ष 2014 और 2015 में प्लॉट-वार समझौते निष्पादित किए गए। तत्पश्चात, परियोजना के लेआउट में संशोधन किया गया, मूल रूप से आवंटित प्लॉटों का पुनः क्रमांकन/स्थान परिवर्तन किया गया तथा परियोजना की भूमि को विभिन्न क्रेताओं को आवंटित और बेचा जाना जारी रहा। वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 में लगभग 1.10 लाख वर्ग गज भूमि में से एक भी प्लॉट, जिसे लगभग 90 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, लगभग 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी वितरित नहीं किया गया है, जबकि वाटिका इंडिया नेक्स्ट में प्लॉटों का वितरण केवल आंशिक रूप से किया गया है। इस प्रकार, लगभग 140.73 करोड़ रुपये मूल्य के प्लॉटों का एक पर्याप्त हिस्सा आज भी अवितरित है।

जांच के निष्कर्षों से पता चला है कि अनिल भल्ला ने जांच के तहत लेनदेन में प्रमुख निर्णयों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की है और गौतम भल्ला समूह के प्रमुख प्रवर्तक हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण समझौतों को निष्पादित किया, इसकी भूमि-स्वामित्व वाली संस्थाओं में निदेशक पद संभाला और नियंत्रण किया और इसके संचालन का प्रबंधन जारी रखा। एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि इन दोनों व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रमुख निर्णय लिए गए थे।

यह भी पाया गया कि परियोजना की भूमि लगभग 22 समूह कंपनियों के माध्यम से रखी गई थी। इन कंपनियों में कोई कर्मचारी या अलग व्यावसायिक गतिविधियां नहीं थीं। इनका मुख्य रूप से कॉर्पोरेट गारंटी देने और भूमि बैंक का प्रबंधन करने के लिए उपयोग किया जाता था, जिसमें वित्तीय संस्थानों के पास भूमि को गिरवी रखना भी शामिल था। मेसर्स वाटिका लिमिटेड के बैंक खातों की भी जांच की गई। विश्लेषण से पता चला कि क्रेताओं से प्राप्त धन का उपयोग केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए नहीं किया गया, जिनके लिए यह धन एकत्र किया गया था, बल्कि धनराशि को अन्य समूह कंपनियों और प्रमोटर से संबद्ध संस्थाओं को भी हस्तांतरित किया गया, जो इन परियोजनाओं का हिस्सा नहीं थीं।

इसके अलावा, वर्ष 2024 के एक अलग लेनदेन में, स्केलर वेंचर्स ने एक बिक्री समझौते और बाय-बैक समझौते के तहत 473.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया। 165 प्लॉटों में से केवल 15 प्लॉट वापस खरीदे गए। इसके बाद, शेष 150 प्लॉटों में से 14 प्लॉट कथित रूप से स्केलर की जानकारी या सहमति के बिना लगभग 13.62 करोड़ रुपये में तीसरे पक्ष को बेच दिए गए। इस प्रकार, इस मामले में अब तक परिकल्पित अपराध की आगम लगभग 154.36 करोड़ रुपये है।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत सात परिसरों में तलाशी अभियान भी चलाया था। एक आरोपी के आवासीय परिसर से एक मर्सिडीज-बेंज जीएलसी 300, 1.3 किलोग्राम से अधिक वजन के सोने और हीरे के आभूषण, जिनका मूल्य लगभग 1.55 करोड़ रुपये है, तथा लगभग 3.04 करोड़ रुपये के बैंक खाते और एफडीआर बरामद कर फ्रीज किए गए।

गिरफ्तारी के बाद, अभियुक्तों को 29.09.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 03.10.2026 तक ईडी हिरासत में भेज दिया है।

आगे की जाँच जारी है।
